



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2064]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 19, 2016/श्रावण 28, 1938

No. 2064]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 19, 2016/SRAVANA 28, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2016

का.आ. 2746(अ).—केंद्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 19 अगस्त, 2016 को उक्त संहिता की निम्नलिखित धाराओं के उपबंधों को प्रवृत्त करने की तारीख नियत करती है:-

(1) धारा 3 -

- (i) खंड (1);
- (ii) खंड (5);
- (iii) खंड (22);
- (iv) खंड (26);
- (v) खंड (28);
- (vi) खंड (37);

(2) धारा 221;

(3) धारा 222;

(4) धारा 225;

(5) धारा 226;

(6) धारा 230;

(7) धारा 232;

(8) धारा 233;

- (9) धारा 239 की उपधारा (1) और उपधारा (2) का खंड (यघ);
- (10) धारा 240 की उपधारा (1) और उपधारा (2) का खंड (यन);
- (11) धारा 241; और
- (12) धारा 242

[फा. सं. 30/8/2016-इंसोल्वेंसी अनुभाग]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2016

S.O. 2746(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby appoints the 19th August, 2016 as the date on which the provisions of following sections of the said Code shall come into force:—

- (1) section 3 -
 - (i) clause (1);
 - (ii) clause (5);
 - (iii) clause (22);
 - (iv) clause (26);
 - (v) clause (28);
 - (vi) clause (37);
- (2) section 221;
- (3) section 222;
- (4) section 225;
- (5) section 226;
- (6) section 230;
- (7) section 232;
- (8) section 233;
- (9) sub-section (1) and clause (zd) of sub-section (2) of section 239;
- (10) sub-section (1) and clause (zt) of sub-section (2) of section 240;
- (11) section 241; and
- (12) section 242.

[F. No. 30/8/2016-Insolvency Section]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.